

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 154/2024
उनवान

1. फैजू पुत्र सुवाला
2. अताई पुत्र सुवाला
3. लाली पत्नी सुवाला
जाति मुसलमान निवासी कंटल
का पार तहसील रामसर।

बनाम

1. तहसीलदार रामसर।
2. मूमलखान पुत्र मामद जाति
मुसलमान निवासी देताणी
3. अनवर पुत्र हैदर जाति मुसलमान
निवासी कंटल का पार तहसील
रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश


दिनांक 03.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी फैजू पुत्र सुवाला वगैरह तहसील रामसर।
का खातेदारी खेत खसरा संख्या 718/224 रकबा 10.4175 हेक्टैयर मौजा कंटलिया का पार पटवार
मण्डल गागरिया में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी संख्या 01से 03 तक का हिस्सा
निम्न सारणी अनुसार भूलवश दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय अतः
राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इन्द्राज सही करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2024 को
प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन
के आधार पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की सहमती के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या
718/224 रकबा 10.4175 हेक्टैयर मौजा कंटलिया का पार पटवार मण्डल गागरिया में निम्नानुसार
सारणी के अनुसार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के हिस्से सही दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं।


क्र.सं.	नाम	गलत इन्द्राज	ख.नं.	रकबा हेक्टैयर में	सही इन्द्राज
1.	फैजू पुत्र सुवाला.	9443/2000160	718/224	10.4175	15055/1600128(0.12बीघा)
2.	अताई पुत्र सुवाला	9443/2000160	718/224	10.4175	15055/1600128(0.12बीघा)
3.	लाली पत्नी सुवाला	9443/2000160	718/224	10.4175	15055/1600128(0.12बीघा)
4.	मूमलखान पुत्र मामद	1/32	718/224	10.4175	11/640(01.02 बीघा)

तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। यह आदेश
आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर
दिनांक 03.01.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 36-38
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी फैजू पुत्र सुवाला वगैरह
3. पटवारी हल्का गागरिया


उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर